

	की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-	क्षतिपूरक वनिकरण कार्य इस वन प्रभाग के मिश्रिख रेंज के अधिन क्षेत्रफल 58 हे० अवनत वनभूमि में रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न हैं।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण क्रियान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	क्षतिपूरक वुक्षारोपण योज संलग्न है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्य।	₹0-11557757.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र {संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।}	संलग्न हैं।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाईल	
(i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	571284.00 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4991.17 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलो की सं० -21 151168 हे०
(iv)	1980 से जिला / प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	280.908 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	183.87 हे०।
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मिश्रिख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर